

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

85

सन्

2019

किस्म मुकदमा

आधीन 17

रवमाणा मिरे


बनाम

राजसमन्द 2154

हस्ताक्षर/सूचना

आदेशिका

26⁰²/₂₀₁₉ पत्रावली पेठा दुर्मी आदीवस्ता प्राप्ती उपस्थित ही
 वस्तु पर भरण विमा एवं पत्रावली वा अवलोकन
 विमा कर्ता। आदीवस्ता प्राप्ती वायु उपस्थित पत्र के
 अन्तर्गत तथ्यो को देखते हुए फर्दी वस्तु
 में बताया कि ग्राम वादा की वादग्रस्त धर्मियो में
 अन्तर्गत ही प्राप्ती का नाम सुभाषिण पिता दल्लु व
 सुभाषिण पिता दल्लुल दर्ज हो गया है जहाँ प्राप्ती
 का नाम रवमाणा शिंदे पिता का नाम का नाम हरिमिंदे
 दर्ज होना चाहिए था। आ. प्राप्ती पत्र खरीद
 फरमाया जाकर सुभाषिण पिता दल्लुल विनोद
 अन्तर्गत जाकर सही नाम रवमाणा शिंदे पिता
 हरिमिंदे राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त कर फर्द
 कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।
 (विपक्षी पक्ष वाद खर्चा वायु प्रदान
 जावक का अवलोकन विमा कर्ता। जिसमें बताया
 है कि राजस्व रेकर्ड में विमा कर्ता की दुर्मी ही
 दुर्मी है नामान्तरण संख्या 384 दिनांक 12-5-1953
 के द्वारा विरासत से रवमाणा पिता दल्लु का नाम
 अन्तर्गत प्राप्ती वायु वायु राजस्व प्राप्ति में
 सुभाषिण पिता प्राप्ती पत्र अन्तर्गत विमा है। जो रवमाणा
 कर्ता फर्द वायु में विशेष रूप में बताया है
 कि प्राप्ती की रवमाणा पिता दल्लु के राजस्व
 प्राप्ति में नाम के अन्तर्गत - में कोई एवम
 प्राप्ति है ही प्राप्ती की विमा कर्ता नामान्तरण
 की प्राप्ति करती चाहिए। प्राप्ती का प्राप्ती पत्र
 खरीद फरमाया जावे।



प्राप्ती पत्र व जावक एवं वस्तु के
 अन्तर्गत ही अवलोकन विमा फरमाया
 है कि राजस्व रेकर्ड में प्राप्ती का नाम सुभाषिण
 व पिता का नाम दल्लु नामान्तरण के द्वारा
 दुर्मी है जो सही है राजस्व रेकर्ड में विमा

उपखण्ड अधिकारी
 कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द (राज.)

पुस्तक की त्रुटि नहीं हुई है। धारा 136 राजस्थान
लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत प्राप्ति का नाम
सम्मान प्रदान किया जाता है। अपेक्षित प्रतीक
होता है।

अतः प्राप्ति का प्राप्ति पत्र प्रमाणित
रूप से स्वीकार किया जाता है। प्राप्ति
का नाम सम्मानित है सम्मान प्रदान नाम
सम्मानित है। प्राप्ति का अर्थ दिया
जाता है।

पालना हेतु तहसिलदार कुम्भलगढ़
को लिखा जावे। पत्रावली फाइल
भुगत हो कर नकल से बना हो।
निर्णय सुकल न्यायालय में सुनाया
गया।

उपखांड अधिकारी
कुम्भलगढ़
जिला-राजसमंद (राज.)

